

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-45/2025 दिनांक 14.02.2025)
***दिनांक-14.02.2025 को जनपद कुशीनगर पुलिस**
द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-*

संगठित साइबर गैंग का पर्दाफाश, अपराध से अर्जित अनुमानित कीमत लगभग 11 लाख रुपये तक की बरामदगी, नगद 01 लाख 12 हजार रुपये, एक अदद लम्जरी वाहन, 03 अदद लैपटाप, 06 अदद मोबाइल फोन, 12 अदद सिम कार्ड व 26 फर्जी आधार कार्ड के साथ 05 साइबर अपराधी गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी खड्डा श्री उमेश चन्द्र भट्ट के नेतृत्व साइबर अपराधों के रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 14.02.2025 को थाना रामकोला पुलिस व साइबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा थाना रामकोला क्षेत्र से 05 संगठित साइबर गिरोह के अपराधियों 1-संदीप गुप्ता पुत्र स्व0 अछैवर गुप्ता ग्राम परोरहा डम्बर छपरा थाना रामकोला जनपद कुशीनगर 2-मंयक कुशवाहा पुत्र श्री राजेश कुशवाहा निवासी ग्राम उर्दहा नं0 02 थाना रामकोला जनपद कुशीनगर 3-सन्नी गुप्ता पुत्र जंग बहादुर गुप्ता निवासी ग्राम परोरहा डम्बर छपरा थाना रामकोला जनपद कुशीनगर 4-विकास कुमार पुत्र शंकर गुप्ता निवासी ग्राम उर्दहा नं0 02 थाना रामकोला जनपद कुशीनगर 5-एक अन्य बाल अपचारी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से साइबर फ्राड से अर्जित 1 लाख 12 हजार रुपये नगद, एक अदद चार पहिया वाहन स्विफ्ट डिजायर, अपराध में प्रयुक्त 06 अदद मोबाइल फोन, 03 अदद लैपटाप व 12 अदद सिम कार्ड व 26 फर्जी आधार कार्ड की बरामदगी की गयी है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना रामकोला पर मु0अ0सं0 62/25 धारा 111(2)(B),318(4)/61(2) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछ-ताछ का विवरण-

1-अभियुक्तगणों का एक संगठित गिरोह है,
2-ऐसे मोबाइल नम्बर जो लोगों के खातों में लिंक रहते हैं व किसी कारण से वो नम्बर बन्द हो जाते हैं तथा खाते से लिंक मोबाइल नम्बर को बदलते नहीं हैं ।



- 3-इन अभियुक्तगणों द्वारा ऐसे नम्बरों की खोज कर रि-एलाट करा लेते हैं ।
- 4-अभियुक्तगणों द्वारा रि-एलाट कराये गये मोबाइल नम्बर से माइ आधार एप्प के माध्यम से पुराने मोबाइल नम्बर धारक के आधार कार्ड नम्बर प्राप्त कर लेते हैं ।
- 5-पुराने मोबाइल नम्बर धारक के आधार कार्ड नम्बर व लिंक मोबाइल नम्बर का प्रयोग कर फोन-पे बना लेते हैं ।
- 6- अभियुक्त गणों द्वारा फोन-पे बनाने के उपरान्त अलग-अलग सी0एस0पी0 संचालकों से उक्त खाते में रुपयों का स्कैनर के माध्यम से ट्रान्सफर करा लेते हैं ।
- 7-सी0एस0पी0 संचालकों द्वारा उक्त रुपयों के ट्रान्सफर के एवज में अधिक कमीशन लिया जाता है ।
- 8-उक्त संगठित गिरोह द्वारा ऐसे नम्बरों का भोले भाले / बेरोजगार लोगों को लोन दिलवाने आदि के नाम पर भी रुपये मंगाकर सीएसपी के माध्यम से प्राप्त किया जाता है ।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 62/2025 धारा 111 (2)(ब), 318(4), 61(2) बीएनएस व 66 डी सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1-संदीप गुप्ता पुत्र स्व0 अछैवर गुप्ता ग्राम परोरहा डम्मर छपरा थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
- 2-मंयक कुशवाहा पुत्र श्री राजेश कुशवाहा निवासी ग्राम उर्दहा नं0 02 थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
- 3-सन्नी गुप्ता पुत्र जंग बहादुर गुप्ता निवासी ग्राम परोरहा डम्मर छपरा थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
- 4-विकास कुमार पुत्र शंकर गुप्ता निवासी ग्राम उर्दहा नं0 02 थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
- 5-एक अन्य बाल अपचारी

बरामदगी का विवरण-(कुल अनुमानित कीमत 11 लाख रुपये)

- 1-साइबर अपराध से अर्जित एक लाख बारह हजार रुपये नगद (1,12,000/-रु0)
- 2-साइबर अपराध में प्रयुक्त 03 अदद लैपटाप (अपराधिक डेटायुक्त)
- 3-साइबर अपराध में प्रयुक्त 06 अदद एन्ड्राइड स्मार्ट फोन भिन्न-भिन्न कंपनियों के
- 4-26 अदद फर्जी आधार कार्ड
- 5-अपराध में प्रयुक्त एक अदद एटीम कार्ड
- 6-अपराध में प्रयुक्त 12 अदद सिम कार्ड

7-अपराध में प्रयुक्त एक अदद प्रिन्टर व माउस

8-अपराध में प्रयुक्त एक अदद चार पहिया वाहन स्विफ्ट डिजायर (वाहन संख्या UP 78 CR 7277)

9-अपराध में प्रयुक्त एक अदद मोटर साइकिल स्पेलन्डर प्लस (वाहन संख्या UP 57 AQ 7951)

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1-निरीक्षक श्री मनोज कुमार पन्त प्रभारी साइबर सेल जनपद कुशीनगर

2-प्र०नि० श्री आनन्द कुमार गुप्ता थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

3-निरीक्षक अपराध श्री संतोष श्रीवास्तव थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

4-उ०नि० शरद भारती प्रभारी सर्विलांस सेल जनपद कुशीनगर मय टीम

5-उ०नि० श्री मनोज कुमार द्विवेदी थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

6-उ०नि० दिनेश कुमार यादव थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

7-उ०नि० रंजीत सिंह थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

8-हे०का० हिमांशु सिंह थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

9-का०मो० अखण्ड प्रताप सिंह थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

10-हे०का० कमलेश यादव थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

11-हे०का० विजय कुमार चौधरी साइबर सेल जनपद कुशीनगर

12-का० अखिलेश कुमार गुप्ता साइबर सेल जनपद कुशीनगर

13-का० प्रशान्त कुमार मिश्रा साइबर सेल जनपद कुशीनगर

14-का० जयहिन्द यादव थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

15-का० सचिन यादव थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

16-का० शिवबदन यादव थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

17-का० अरुण चौहान थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

18-का० दीपक सरोज थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

19-का० राजहंस यादव थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

नोट- सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक कुशीनगर द्वारा 25 हजार रुपये नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

14 माह की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 13.02.2025 को थाना विशुनपुरा अन्तर्गत ग्राम गौरी श्रीराम टोला बंगला में एक 14 माह की बच्ची के साथ दुष्कर्म की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर द्वारा तत्काल प्रकरण का संज्ञान लेते हुए थाना विशुनपुरा पर मु०अ०सं० 30/2025 धारा 65(2) भा०न्या०सं० व 5M/6 पास्को एक्ट में अभियोग पंजीकृत कराया गया तथा अभियुक्त की

शीघ्र गिरफ्तारी हेतु कड़े निर्देश दिये गये । जिसके क्रम में थाना विशुनपुरा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 14.02.2025 को मुकदमे से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त दूधनाथ प्रसाद पुत्र कुमार प्रसाद निवासी गौरी श्रीराम थाना विशुनपुर जनपद कुशीनगर उम्र लगभग 63 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है । त्वरित विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र शीघ्र से शीघ्र मा० न्यायालय में दाखिल करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने व अभियुक्त को कठोर सजा दिलाने के लिए टीम गठित कर दी गयी है।

पंजीकृत अभियोग:-

मु०अ०सं० 030/2025 धारा 65(2) भा०न्या०सं० व 5M/6 पास्को एक्ट थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त:-

दूधनाथ प्रसाद पुत्र कुमार प्रसाद निवासी गौरी श्रीराम थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1-प्र०नि० राजू सिंह थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
- 2-उ०नि० सौरभ गिरी थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
- 3-हे०का० संतोष चौरसिया थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
- 4-का० दीपक मौर्या थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
- 5-म०का० स्वर्णिमा सिंह थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर

थाना जटहाँ बाजार पुलिस द्वारा गौ-हत्या से सम्बन्धित दो अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, लोहे का दाब(बाका), एक अदद लकड़ी का ठिहा, एक अदद रस्सी बरामद-

दिनांक 13.02.2025 को थाना जटहाँ बाजार क्षेत्रान्तर्गत ग्राम घुरछपरा टोला पतिलार में गन्ने के खेत में बछड़े का अवशेष मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच कर मिले अवशेष को नियमानुसार कब्जे में लिया गया तथा प्रकरण में मु०अ०सं० 33/2025 धारा 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम ३०प्र० में मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा मामले का खुलासा करते हुए मुकदमे से सम्बन्धित दो आरोपियों 1. कासिम अंसारी उर्फ राजू पुत्र अख्तर हुसैन निवासी मंसाछापर थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर 2. फिरोज आलम पुत्र स्व० मजीद आलम निवासी नन्दलाल छपरा थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 1-

गौवंशो को काटने हेतु उपयोग में लाये जाने वाला लोहे का दाब(बाका), 2- एक अदद लकड़ी का ठिहा 3- एक रस्सी बरामद किया गया है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 33/2025 धारा 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1.फिरोज आलम पुत्र स्व0 मजीद आलम निवासी नन्दलाल छपरा थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर
- 2.कासिम उर्फ राजू पुत्र अख्तर हुसैन निवासी मंशाछापर थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरण-

- 1-एक अदद खून लगा लकड़ी का ठिहा (काटने वाला),
- 2-खून लगा 01 अदद लोहे का दाब
- 3-प्लास्टिक का रस्सा एक अदद

अभियुक्त फिरोज आलम का अपराधिक इतिहास:-

- 1.मु0अ0सं0 335/2022 धारा 3/5/8 गोहत्या निवारण अधि0 थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1.थानाध्यक्ष मनोज कुमार वर्मा थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर
- 2.उ0नि0 आकाश कुमार ग्वाल थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर
- 3.उ0नि0 देवव्रत यादव थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर
- 4.का0 पुष्पेन्द्र सिंह यादव थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर
- 5.कां0 विश्वजीत राय थाना जटहाँ बाजार जनपद कुशीनगर

थाना तमकुहीराज पुलिस द्वारा दहेज हत्या आदि के मुकदमे में वांछित एक नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 14.02.2025 को थाना तमकुहीराज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 318/2024 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपीएक्ट में वांछित अभियुक्त अश्विनी गुप्ता पुत्र उदयलाल गुप्ता उर्फ जनार्दन गुप्ता निवासी भेड़िया कटया थाना कटया

जनपद गोपालगंज हा0मु0 हरिहरपुर वार्ड नं0 01 थाना तमकुहीराज जनपद को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 318/2024 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

अश्विनी गुप्ता पुत्र उदयलाल गुप्ता उर्फ जनार्दन गुप्ता निवासी भेड़िया कटया थाना कटया जनपद गोपालगंज हा0मु0 हरिहरपुर वार्ड नं0 01 थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. प्र0नि0 अमित शर्मा थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 अंकित कुमार शुक्ला थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
3. का0 रजनीकान्त थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

थाना सेवरही पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 14.02.2024 को थाना सेवरही पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी को गिरफ्तार अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पंजीकृत अभियोग-

मु0नं0 589/2020 मु0अ0सं0 132/2019 धारा 363,366,376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त-

राजेश पुत्र भुलई साकिन पिपराघाट मुस्तकील टोला गोला थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. SO श्री धीरेन्द्र राय थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 आकाश सिंह थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
3. का0 सुबेदार यादव थाना सेवरही जनपद कुशीनगर



गो-तस्करी गैंग का पर्दाफाश, एक पिकअप वाहन से तस्करी कर वध हेतु ले जायी जा रही 05 राशि गोवंश, 01 अदद लकड़ी का ठीहा, 01 अदद धारदार हथियार के साथ 02 शातिर गोतस्करों को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज के नेतृत्व में गोवंशी पशुओं की तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 14.02.2025 को थाना तमकुहीराज पुलिस द्वारा थाना तमकुहीराज क्षेत्र से 02 पशु तस्करों 1.नितिन पुत्र धर्मपाल निवासी टिकरी थाना जानी जनपद मेरठ उ0प्र0 2. निखिल पुत्र बण्टी निवासी टिकरी थाना जानी जनपद मेरठ उ0प्र0 को गिरफ्तार कर मौके/कब्जे से 01 अदद पिकप वाहन UP 15 HT 6550 से 05 राशि गोवंशीय(03 राशि गाय व 02 राशि बछड़ा) पशु क्रूरता पूर्वक बंधे हुए, 01 अदद धारदार हथियार व 01 अदद लकड़ी का ठीहा आदि बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 46/2025 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछ-ताछ का विवरण-

पूछ-ताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग गोवंशीय पशुओं को मेरठ जिले से पकड़कर पिकअप वाहन में क्रूरता पूर्वक लाद कर बिहार राज्य में ले जाकर बेचकर आर्थिक लाभ कमाते है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 46/2025 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1.नितिन पुत्र धर्मपाल निवासी टिकरी थाना जानी जनपद मेरठ उ0प्र0
2. निखिल पुत्र बण्टी निवासी टिकरी थाना जानी जनपद मेरठ उ0प्र0

बरामदगी का विवरण-

- 1- 05 राशि गोवंशीय पशु
- 2- एक अदद महिन्द्रा पिकअप वाहन नं0 UP 15 HT 6550
- 3- 01 अदद जानवर काटने का लकड़ी का ठीहा
- 4- 01 अदद धारदार हथियार

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम-

- 1-प्र0नि0 अमित शर्मा थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
- 2-उ0नि0 अरसलान अहमद थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
- 3-उ0नि0 मृत्युजंय सिंह थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
- 4-उ0नि0 महेश मिश्रा थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
- 5-हे0कां0 सचिन कुमार थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
- 6-कां0 मोहित उपाध्याय थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 37 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-102 वाहन
- 2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-60, व्यक्ति-202
- 3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(11)
- 4- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-48)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर

